ORIGINAL RESEARCH PAPER

Education

KEY WORDS: अपराध, हिंसा, बलात्कार, अपहरण, व्यपहरण दुष्प्रेरण, दहेज, यौन उत्पीड़न कार्यस्थल, अनैतिक व्यापार, अशिष्ट चित्रण, घरेलू हिंसा, निवारण, संरक्षण, दुर्व्यवहार, व्यवहार प्रतिमान।

भारत में महिलाओं के विरूद्ध अपराध : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रीतान्जली सिंह शोधार्थी शा — स्वशासी टी. आर. एस. उत्कृष्ट महाविद्यालय रीवा म.प्र.

डा. एस. पी. सिंह प्राचार्य शा. — विधि महाविद्यालय रीवा म.प्र.

डा. ध्रुव कुमार द्विवेदी — प्राचार्य सरस्वती विज्ञान महाविद्यालय रीवा म.प्र.

ABSTRACT

अपराध को कभी समातज द्वारा स्वीकार नही किया गया है। अपराध पुरुष एवं महिला दोनों के विरूद्ध होते है पर महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में उन अपराधों को सम्मिलित किया जाता है जो केवल महिलाओं के विरूद्ध होते है। भारतीय दण्ड संहिता और विशिष्ट एवं स्थानीय विधियों को निर्धारित किया गया है। महिलाओं को बलात्कार,बलात्कार के प्रयास, अपहरण,हत्या,यौन उत्पीड़न,छेड़खानी, कूरता,अनैतिक व्यापार,अशिष्ट चित्रण,घरेलू हिंसा जैसे अनेक अपराधों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के निवारण एवं महिला संरक्षण की दिशा में अनेक प्रयास किये गये हैं। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के कारणों को परिवारिक,सामाजिक ,सांस्कृतिक,मनोवैज्ञानिक आर्थिक क्षेत्रों में तलाशने होंगे।

प्रस्तावना —: अपराध समाज की वास्तविकता है। प्रत्येक समाज का उद्देश्य रहता है कि समाज में कम से कम अव्यवस्था हो। अपराध सदैव से सामाजिक व्यवस्था के समक्ष चुनौती रहा है। भारतीय समाज भी इससे अलग नही है। भारत में महिलाओं की प्रस्थिति भले ही प्राचीन काल में उन्त रही हो पर वर्तमान में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के प्रति अनेक प्रकार की आपराधिक घटनांए सुनाई देती रहती है। क्या घर,क्या बाहर महिलाएं अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। समाज के संतुलित विकास एवं प्रगति के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को सुरक्षित वातारण प्रदान किया जाए।

महिलाओं के प्रति अपराधों की अवधारणा

अपराध शब्द के कई अर्थ जैसे दंड योग्य कर्म, दोष, गलती, जुर्म, पाप प्रचलित हैं। इसका अंग्रेजी भाषा का समानार्थक शब्द काइम है जो कि लैटिन भाषा के काइम शब्द से बना हुआ है। जिसका आशय विलगाव होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अपराध एक ऐसा कार्य है जो समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं है। लेकिन वैधानिक दृष्टि से किसी भी देश के विरूद्ध किया गया कार्य ही अपराध हैं,जिसके लिए राज्य दण्ड की क्षमता रखता है। महिलाओं के प्रति कारित होने वाले अपराधों को अनेक संज्ञाओं से जाना जाता है। जैसे महिला उत्पीड़न, महिला शोषण, महिलाओं के प्रति हिंसा पदावली के रूप में व्यकत किया गया है।

यदि देखा जाए तो समाज में अपराध की घटनाएं समाज की वास्तविकता है। समाज में सभी लोगों के प्रति अपराध कारित होते रहते हैं। पुरूषों के समान महिलायें भी हत्या,छीनाछपटी ,लूट,छलकपट आदि का शिकार होती रहती है। पर महिलाओं के विरूद्ध अपराध के अन्तर्गत उन्हीं अपराधों पर विचार होता है जो विशेष रूप से महिलाओं के विरूद्ध ही कारित होते हैं। इस तरह से महिलाओं के विरूद्ध अपराध से तात्पर्य भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विशिष्ट एवं स्थानीय विधियों के अन्तर्गत दण्डनीय ऐसे अपराधों से हैं जो विशेष रूप से मात्र महिलाओं के विरूद्ध कारित किये जाते हैं।

नेशनल काइम रिकॉर्ड ब्यूरों निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराधों के आंकड़ों को एकत्रित करता है।

भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध

1. बलात्कार (भा0द0सं0 की धारा 376)
2. बलात्कार का प्रयास (भा0द0सं0 की धारा 376 / 511)
3. महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण (भा0द0सं0 की धारा 376,364,364ए,363)

I अपहरण एवं व्यपहरण(भा0द0सं0 की धारा 363)
II हत्या के लिए अपहरण एवं व्यपहरण
III फिरौती के लिए अपहरण एवं व्यपहरण
IV विवाह के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण एवं व्यपहरण
V अन्य कारणों के अपहरण एवं व्यपहरण

4. दहेज हत्याएं (भा0द0सं0 की धारा 304बी)
5. महिलाओं पर उनके लज्जा भंग के इरादे से हमला (भा0द0सं0 की धारा 354)

i यौन उत्पीड़न (भा0द0सं0 की धारा 354ए)
ii महिला को विवस्त्र करने के लिए हमला (भा0द0सं0 की धारा 354बी)
iii महिलाओं को घूर कर देखना (भा0द0सं0 की धारा 354सी)
iv महिला या लड़की का पीछा करना (भा0द0सं0 की धारा 354 डी)

6. शब्द,अंग विक्षेप या कार्य द्वारा महिलाओं की लज्जा का अनादर (भा0द0सं. की धारा 509)

I कार्यालय में
ii अन्यकार्य स्थल पर
iii सार्वजनिक यातायात में
iv अन्य

7. पति और उसके नातेदार द्वारा कूरता (भा0द0स0की धारा 498 ए)
8. विदेश से लड़की का आयात (21 वर्ष तक की आयु 498 ए)(भा0द0सं0 की धारा 366)

विशिष्ट एवं स्थानीय कानूनों के अन्यर्तत अपराध

1. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम,1956
2. दहेज निरोधक अधिनियम,1961
3. सती अधिकार निवारण अधिनियम 1987
4. महिलाओं का अशिष्ट चित्रण निवारण अधिनियम 1986
5. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम,2005

तलिका—1 वर्ष 2013—2017 के दौरान महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की संख्या

क्र0 सं0	अपराध की प्रकृति	वर्ष					2016—17 के बीच प्रतिशत अंतर
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	भा0द0सं0अंतर्गत	205009	219142	235896	295896	325329	9.9
2	विशिष्ट एवं स्थानीय कानूनों के अंतर्गत	8576	9508	11742	13650	12593	—7.7
	कुल	213585	228650	244270	309546	337922	9.2

स्त्रोंत — काइम इन इंडिया — 2017 नेशनल काइम रिकॉर्ड ब्यूरो

तलिका — 1 से स्पष्ट है कि भा0द0सं0 के अंतर्गत आने वाले अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है लेकिन विशिष्ट एवं स्थानीय कानूनों के अंतर्गत होने वाले अपराधों में वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में 7.7 प्रतिशत की कमी आई है।

तलिका 2 — भा0द0सं0 अन्तगर्त कुल अपराधों में से महिलाओं के विरूद्ध अपराध का प्रतिशत

क.स.	वर्ष	भा0द0सं0 के अंतगर्त कुल अपराध	महिलाओं के विरूद्ध अपराध भा0द0सं0के मामले	भा0द0सं0 के अन्तगर्त महिलाओं के विरूद्ध अपराध का प्रतिशत
1	2013	2224831	213585	9.6
2	2014	2325575	219142	9.4
3	2015	2387188	244270	10.2
4	2016	2647722	295896	11.2
5	2017	2851563	325327	11.4

स्त्रोत : काइम इन इडिया 2017, नेशनल काइम रिकॉर्ड ब्यूरो

टिप्पणी : 2014 की तुलना में 2017 में अपराधों के शीर्षकों में वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक — 2 से स्पष्ट है कि कुल अपराधों में से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक निरन्तर वृद्धि हो रही है।

महिलाओं के विरूद्ध अपराध

नेशनल काइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान महिलाओं के विरूद्ध कुल 337922 आपराधिक घटनाएं घटित हुई जिसमें 321993 घटनाएं राज्यों में एवं 15929 घटनाएं 38467 हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 38299 घटनाएं एवं राजस्थान 31151 घटनाएं का स्थान रहा। संघ क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2017 के दौरान 15265 मामले दर्ज हुए। वर्ष 2017 में महिलाओं के विरूद्ध संज्ञेय अपराधों की दर राज्यों एवं संघ क्षेत्रों में क्रमशः 54.7 एवं 144.3 रही जबकि सम्पूर्ण भारत में यह दर 56.3 रही। वर्ष 2017 में राज्यों में सबसे अधिक असम में 123.4 एवं संघ क्षेत्रों में दिल्ली संघ क्षेत्र 169.1 रही।

1. भारतीय दण्ड संहिता के अन्तगर्त धारा 376में दण्डनीय एवं धारा 375 में बलात्कार एक परिभाषित अपराध है तथा गंभीरतम अपराधों की श्रेणी में आता है। नेशनल काइम रिकॉर्ड ब्यूरों के काइम इन इंडिया 2017 के अनुसार वर्ष 2017 के भा0द0सं0 की धारा 376 के अतगर्त 36735 मामले यौन आक्रमण से बच्चों का बचाव अधिनियम 2015 के अतिरिक्त दर्ज हुए । वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में देश में कुल बलात्कार के प्रकरणों में सर्वाधिक 14 प्रतिशत मध्य प्रदेश में हुए। मध्य प्रदेश में 5076, राजस्थान में 3759 एवं एवं उ0प्र0 में 3467 मामले सामने आए। सबसे अधिक बलात्कार की दर मिजोरम में 23.7 रही जबकि इसकी राष्ट्रीय दर 6.1 रही।

रक्त संबंधियों द्वारा किए गये बलात्कार के मामलों में वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में 25.7 प्रतिशत वृद्धि देखी गई। नेशनल काइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2014 में पहली बार अभिरक्षा में बलात्कार से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। अभिरक्षा में बलात्कार से आशय पुलिस,चिकित्सालय,न्यायिक हिरासत में बलात्कार है। सबसे अधिक अभिरक्षा में बलात्कार की

घटनाएं उ0प्र0189 घटनायें हुई। जिसमें 5 समूह बलात्कार एवं शेष 2017 में देश भर में बलात्कार के प्रयास के 4234 मामले दर्ज हुए। इस तरह के सर्वाधिक प्रकरण पश्चिम बंगाल 1656 में दर्ज हुए।

यदि देखा जाए तो बलात्कार के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते। भारत जैसे मान्यतावादी एवं मर्यादा वाले देश में सामाजिक प्रताड़ना निष्कासन व उपेक्षा के भय से बलात्कार के प्रकरणों को दबाया जाता हैं। कई मामलों में बदनामी के भचय से पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं लिखायी जाती। लेकिन कई बार लचर कानून व्यवस्था के कारण से अपराधी बच निकलते हैं।

2. अपहरण एवं व्यपहरण के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों के लिए महिलाओं अथवा लड़कियों के अपहरण एवं व्यपहरण के अपराध आते है। इसके अन्तगर्त हत्या,फिरौती एवं विवाह हेतु महिलाओं का अपहरण व्यपहरण किया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों के क्राइम इन इंडिया 2017 के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान अपहरण एवं व्यपहरण के 57311 मामले दर्ज हुए 2016 की तुलना में 2017 में इस तरह के अपराधों में 10.5 प्रतिशत वृद्धि हुई।
3. भारत में दहेज हत्याओं की स्थिति अति भयावह है। दहेज की वजह से प्रतिवर्ष कई महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं या उनकी हत्या कर दी जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया 2017 के अनुसार देश भर में वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में दहेज हत्या में 4.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 2017 में देश की कुल दहेज हत्याओं में से उ0 प्र0 में 29.2 प्रतिशत दहेज हत्याएं हुई एवं यहां 2469 प्रकरण दर्ज हुए।
4. महिलाओं का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन आए दिन महिलाओं पर उनके लज्जा हनन के लिए हमले होते रहते है। महिलाओं पर उनके लज्जा हनन के हमने गंभीर अपराध है।नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2017 के अनुसार वर्ष 2017 में इस तरह के 82235 अपराध सामने आए। वर्ष 2017 में वर्ष 2016 की तुलना में संबंधित अपराधों में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यौन उत्पीड़न भा0द0सं0 की धारा 354ए से संबंधित 21938 मामले दर्ज किए गये। सबसे अधिक यौन उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश 4435 में दर्ज हुए। वर्ष 2017 में महिलाओं को विवस्त्र करने के हमलों की 6412 घटनाएं 674 छेड़खानी एवं 4699 पीछा करने की घटनाएं घटित हुई।
5. भा0द0स0 के अन्तगर्त शब्द,अंग विक्षेप या कार्य द्वारा महिलाओं की लज्जा का अनादर एक अपराध है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया 2017 के अनुसार वर्ष 2016 की तुलना में 2017 में इस तरह के अपराधों में 29.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। वर्ष 2016 में 12589 मामले दर्ज हुए जो वर्ष 2017 में घटकर 9735 रह गए। वर्ष 2017 में हुए 9735 में से कार्यालय परिसर में 57 अन्य कार्य स्थला पर 469 सार्वजनिक यातायात व्यवस्था में 121 एवं अन्य स्थानों पर 9088 प्रकरण दर्ज हुए।
6. भा0 द0 सं0 की धारा 498ए के अनुसार पति एवं उसके नातेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता करना एक अपराध हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों के क्राइम इन इंडिया 2017 के अनुसार वर्ष 2016 की तुलना में 2017 में इस तरह के अपराधों में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017 में सबसे अधिक मामले पश्चिम बंगाल 23278 मामले में हुए असम में सबसे अधिक क्राइम रेट 62.1 दर्ज हुई। जबकि राष्ट्रीय दर 20.5 रही।
7. विदेशों से महिलाओं के आयात भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के अपराधों में 58 प्रतिशत की कमी देखी गई। वर्ष 2016 में जहॉ 31 मामले आए थे वही 2017 में 13 मामले सामने आए।
8. आत्महत्या समाज की एक बड़ी समस्या है। कई महिलाओं को आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर दिया जाता हैं आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामलों से संबंधित आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा सर्वप्रथम 2017 में एकत्रित किए गए। इस तरह के 3734 मामले सामने आए। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र 986 मामले सामने आए।
9. दहेज प्रथा भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित थी। कालांतर में यह एक कुप्रथा बनती चली गयी है। दहेज निरोधक अधिनियम पारित 1 जुलाई 1961 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के संबंध में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि दहेज प्रथा की सामाजिक समस्या व कुरीति को कानून मात्र से हल नहीं किया जा सकता। इस समस्या का अन्य रीतियों से भी निदान खोजना होगा। परतु विधायन भी जरूरी है। ताकि इस समस्या से निपटा जा सके और समाज में सन्देश जा सके कि दहेज की मांग के विरूद्ध विधि का निषेध है और ऐसार करना अनुचित है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया 2017 के अनुसार दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अन्तगर्त वर्ष 2016 में 10709 प्रकरण दर्ज हुए। वहीं 2017 में 10050 प्रकरण दर्ज हुए। इस प्रकार के अपराधों में 6.2 प्रतिशत की कमी देखी गई। सबसे ज्यादा प्रकरा वाले राज्यों में बिहार (2203 मामले) रहे। इस तरह के मामलों में वर्ष 2017 में सर्वाधिक क्राइम रेट झारखण्ड की रही जबकि राष्ट्रीय दर 1.7 थी।
10. महिलाओं एवं लडकियों का अनैतिक व्यापार सदैव समाज के लिए बुराई एवं न्याय प्रशासकों के लिए चुनौती रहा। इस विश्वव्यापी समस्या के निराकरण के लिए 9 मई 1950 को न्यूयार्क में एक अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। इसी के परिणामस्वरूप स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 पारित किया गया। सन 1986 के संशोधन द्वारा इसका शीर्षक बदलकर अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम कर दिया गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2014 में केवल महिलाओं से संबंधित मामलों की संख्या 2070 दर्ज की गई । सबसे अधिक मामले तमिलनाडू (471 मामले) थे।
11. समाज में महिलाओं की छवि धूमिल करने वाले चित्रों अथवा लेखो के प्रकाशन के अशिष्ट चित्रण (निवारण) अधिनियम 1986 बनाया गया। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के क्राइम इन इडिया 2014 के अनुसार वर्ष 2017 में इस तरह के 47 मामले एवं वर्ष 2016 में 362 मामले दर्ज किये। इस तरह से इस प्रकार के अपराधों में 87 प्रतिशत की गिरावट आयी। वर्ष 2017 में राजस्थान में सबसे अधिक 18 मामले दर्ज हुए।
12. यद्यपि पति और उसके संबंधित द्वारा निर्दयता के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रभावी कानून था फिर भी महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़नों में कोई कमी देखी नहीं जा रही थी। अतः महिलाओं के प्रति होने वाले इन उत्पीडनो को कम करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओ संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत शारीरिक दुव्यवहार मौखिक दुव्यवहार भावनात्मक दुर्व्यवहार एवं आर्थिक दुव्यवहार को सम्मिलित किया गया है।

कारण

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के कारण निम्नवत् है।

1. विभिन्न समितियों, संस्थाओं की संरचना एवं प्रकार्यों में परिवर्तन।
2. आज के भौतिकवादी युग में आदर्शों एवं मूल्यों मे परिवर्तन आ गया है। मूल्यों में तेजी से गिरावट आयी है।
3. आज तनावपूर्ण वातावरण हो गया है। लोगों के व्यवहार प्रतिमानों में अंतर आ रहा है।
4. मनोव्याधिकीय व्यक्तियों की वृद्धि ही गयी है।
5. कई बार व्यक्ति दुर्बल स्वास्थ्य एवं यौन संबंधी असंतुष्टि की वजह से कई पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है।
6. पति एवं पत्नी के सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि एवं स्वभाव में अंतर की वजह से कई पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है।
7. वर्तमान युग संचार का युग है। कई बार अपराधी संचार माध्यमों से सीखकर अपराध कर बैठता है।
8. औद्योगीकरण एवं नगरीकरण ने भी अपराधों में वृद्धि की है। कार्यस्थलों पर महिलाओं का उत्पीडन एक बडी समस्या है।
9. भौतिकवादी सोच ने भी अन्य अपराधों के साथ महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में वृद्धि की है।

हिंसा से पीड़ित महिलाएं

सामान्य तौर पर अपराधी उन महिलाओं को निशाना बनाता है जो असहाय एवं अवसादग्रस्त होती है। साथ में वे अपनी नजर में खुद को गिरी हुई समझती है। कई बार महिलाओं का परिवारिक वातावरण भी सामान्य नहीं होता। इन पर दबाव होता है,जिसका फायदा अपराधी उठा लेते हैं। ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें महिलाओं में सामाजिक परिपक्वता या अन्तर वैयक्तिक दक्षताओं में कभी होती है।यदि पति या ससुराल वाले विकृत मस्तिष्क के हो या पति आदतन शराबी हो तो ऐसी महिलाओं के प्रति हिंसा होना आम हैं।

हिंसा के अपराधकर्ता

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा करने वाले व्यक्ति निम्न सात प्रकार के हो सकते हैं।

1. अवसादग्रस्त व्यक्ति।
2. मनोरगी।
3. संसाधनों,दक्षताओं एवं प्रतिभाओं से रहित व्यक्ति और जिनका समाज वैज्ञानिक रूप विकृत होता हैं।
4. जिनकी प्रकृति मलिकानापन,सनकीपन एवं प्रभुतावादी हो।
5. जिनका जीवन तनावग्रस्त हो।
6. बचपन से हिंसा का शिकार हो।
7. बहुत मदिरापान करता हो।

निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि अपराध एक सामाजिक तथ्य हैं। वर्तमान में,महिलाओं के विरूद्ध अनेक प्रकार के अपराध हो रहे हैं। इसके पीछे हमारे समाज की पारिवारिक सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। यद्यपि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकने, निवारण करने एवं महिलाओं के संरक्षण हेतु अनेक प्रयास किए गये हैं, परन्तु अभी वांछित लक्ष्य दूर हैं। इसके लिए समाज की सभी सामाजिक,वैधानिक प्रशासनिक राजनीतिक धार्मिक संस्थाओं को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। तभी महिलाओं के लिए भयमुक्त वातावरण तैयार हो सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. दीक्षित,कृष्णकान्त संकलनकर्त्ता उपाध्याय सूर्यनारायण संकलनकर्त्ता अमर मानक विशाल हिन्दी शब्दकोश कमल प्रकाशन नई दिल्ली पृ074
2. बघेल डॉ0डी0एस0 2015 अपराधशास्त्र विवेक प्रकाशन दिल्ली पृ065
3. वही पृ067
4. अग्रवाल डॉ0अमित 2013 भारतीय सामाजिक समस्यायें विवेक प्रकाशन दिल्ली पृ0170
5. चौहान डॉ0 एम0एस02012 अपराधशास्त्र दण्ड प्रशासन एवं पीड़ितशास्त्र सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद पृ067
6. वही पृ0 147
7. महाराज डॉ0धर्मवीर महाजन डॉ0कमलेश 2013 अपराधशास्त्र विवेक प्रकाशन दिल्ली पृ0226
8. चौहान डॉ0 एम0एस02012 अपराधशास्त्र दण्ड प्रशासन एवं पीडितशास्त्र सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद पृ0147
9. शर्मा डॉ0 अर्चना 2015 संघर्षरत महिलाएं चुनौतियां एवं समाधान प्रतियोगिता दर्पण आगरा मई पृ073
10. परांजपे, डॉ0 ना0 वि0 2011 अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स,इलाहाबाद पृ0 145
11. पाण्डेय,डॉ0 मधु 2012 महिलाएं एवं अपराध विधि सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद पृ070
12. परांजपे डॉ0 ना0 वि0 2011 अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद पृ0137
13. चौहान डॉ0 एम0एस02012 अपराधशास्त्र दण्ड प्रशासन एवं पीड़ित शास्त्र सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद पृ0147
14. वही पृ0147–148
15. शर्मा जी0एल02015 सामाजिक मुद्दे प्रेम रावत रावत पब्लिकेशन्स जयपुर पृ0431
16. बघेल डॉ0डी0एस02015 अपराध विवेक प्रकाशन दिल्ली पृ0 163–164
17. आहूजा राम 2004 सामाजिक समस्याएँ श्रीमती प्रेम रावत रावत पब्लिकेशन जयपुर पृ0245–246
18. वही 246